

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/2/210
आदेश

दिनांक: 25/9/11

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नांकित नगरीय निकायों में पैरवी हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/ परिषद/पालिका का नाम
1.	श्री महेश कुमार जोशी, आर/2250/2006	नगरपालिका पोकरण
2.	श्री राजेश कुमार शर्मा, विधि सलाहकार को हटाते हुए इनके स्थान पर श्री सूरजमल सैनी पुत्र श्री रेवडगल सैनी	नगरपालिका लालसोट
3.	श्री बालूराम चौधरी विधि सलाहकार को हटाते हुए इनके स्थान पर श्री शिवनारायण विश्णोई	नगरपालिका भीनमाल


इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।


(उज्ज्वल राठी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/2/211-25
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 25/9/11

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर/जयपुर।
05. अध्यक्ष/ अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पोकरण/लालसोट/भीनमाल।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगर पालिका पोकरण/लालसोट/भीनमाल।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी